भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1198

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना

1198. श्री राघव चड्ढाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के सरलीकरण और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत राज्यों की संख्या बढ़ाने और पंजाब को भी इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): अटल भूजल योजना, 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सात राज्यों नामतः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8,220 जल प्रवण ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों और जिला परियोजना निगरानी इकाइयों जैसे आवश्यक संस्थानों की स्थापना की गई है। डेटा संग्रहण उपकरणों के लिए प्रापण गतिविधियां अग्रिम चरण में हैं।

सभी 8220 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से समुदायों को जुटाया गया है और भूजल डेटा संग्रहण और सूचित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के लिए भूजल डेटा संग्रहण और जल बजट में इसके महत्व के संदर्भ में केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण किया गया है। कुल 8207 सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गई हैं जिसमें जल बजट और प्रस्तावित मांग पक्ष कार्यकलाप जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि, और आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप जैसे चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं के बारे में विवरण हैं। संबंधित लाइन विभागों द्वारा विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) क्षेत्र में की जा रही हैं।

(ख): योजना के कार्यान्वयन के सरलीकरण और त्वरित कार्यान्वयन के उद्देशय से राज्यों के साथ परामर्श किया गया और बैक-एंड से डेटा प्रदान करके अप्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण को हटाना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अपडेशन, मोबाइल ऐप में डेटा प्रविष्टि का प्रावधान, स्थानीय भाषा में निर्देश/दिशानिर्देश ज़ारी करने का प्रावधान, संबंधित विशेषज्ञों द्वारा सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण, नियमित समस्या निवारण कार्यशालाएं आदि जैसे कई कदम उठाए गए। समय-समय पर क्षेत्र का दौरा और नियमित समीक्षा भी की जाती है।

(ग): यह योजना जल की कमी वाले राज्यों के जल की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल के सहभागिता मांग प्रबंधन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।

*****